20 Rs.

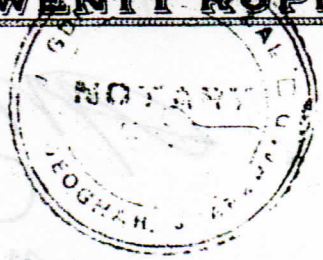

बीस रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

२०रू. TWENTY RUPEES 20Rs.

## वसीयतनामा -सह- स्वीकारोक्ति - पत्र

**लेख्यकारी :-** मो० सावित्री देवी जोजे स्व० दशरथ प्रसाद सिंह, निवासी- ग्राम - वोलीपुर, प्रगना - मलकी थाना -पिपरिया, सबरजिष्ट्री वो जिला लखीसराय हाल मोकाम शहर लखीसराय, विद्यापीठ चौक, थाना वो जिला - लखीसराय, भारतीय नागरिक।

**लेख्यधारी :-** श्री कृष्ण चन्द्र प्रसाद सिंह वल्द स्व० दशरथ प्रसाद सिंह निवासी ग्राम - वोलीपुर, थाना - पिपरिया, सबरजिष्ट्री वो जिला- लखीसराय हाल मोकाम शहर लखीसराय विद्यापीठ चौक, थाना वो जिला लखीसराय भारतीय नागरिक।

**किस्म वसीका :-** वसियतनामा -सह - स्वीकारोक्ति पत्र

**जरसम्पति :-** शुन्य।

ATTESTED 15.5.15
NOTARY REGD NO.-225/0
GOVT. OF JHARKHAND

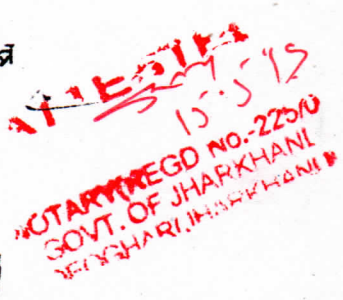

सावित्री देवी

১৪৪৫
২/১১/২০০৪

কুবের চন্দ্র প্রামা পিং মৃত লব কুমারচন্দ্র প্রামা সাং গ্রাম-বটপুর থানা-ধনিয়াখালি
দেবীপুর ২০৪৭=২০

লাইসেন্স-৪৩/৭৯৬

तफसील जायदाद :-

दस कट्ठा जमीन जिस पर वैद्यनाथ पिक्चर पैलेस के नाम से सिनेमा हाल जिसका लाइसेन्स कृष्णचन्द्र प्रसाद सिंह के नाम से चल रहा है जिसका होल्डिंग नं0-199 पुराना एवं 181 नया है जिसका चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

उत्तर:- आनन्द बिहारी लाल बम भोला आश्रम

दक्षिण :- फुच्चो महतो हाल हृदय नारायण ठाकुर

पूरब :- हरि नारायण मुखर्जी रोड विलासी टाउन

पश्चिम :- हीरा लाल ठाकुर

तौजी नं0- 132 थाना नं0-415 प्लोटनं0-51 सी0 वार्ड नं0-12 मौजा - नीलकंठपुर अन्दर देवघर नगरपालिका में स्थित है ।

(1) यह कि जायदाद वसीका हाजा खाना नं0-5 लेख्यकारी की नीजी व्यक्तिगत सम्पत्ति थी जिसे उसने अपने सभी पुत्रों से हो गये पूर्ण बटवारा के बाद स्वयं अपने तथा अपने पति स्व0 दशरथ प्रसाद सिंह के संयुक्त नाम से निबंधित केवाला बेलाक्लामी के दस्तावेज दिनांक 28-1-1967 से अपने नीजी रूपये से खरीद की थी और उसे सदा अपने नीजी सम्पतिके रूप में अपने पति बेटो तथा परिवार के अन्य

सदस्यो से अलग रखी । इस खरीद में लेख्यकारी के पति बेटो या किसी ततकालिन संयुक्त परिवार का एक खरमोहरा भी नही लगा था । लेख्यकारी ने खरीदारी के समय ली गई कानुनी सलाह के अनुसार सरकारी तकनीकी बन्धनो से बचने के लिये उस केवाला में अपने पति का भी नाम अपने साथ दर्ज करा दी जब कि उनका उस खरीदी सम्पति में सिर्फ लेख्यकारी के पति होने के अलावा कोई सरोकार नहीं रहा । लेख्यकारी के पति ने भी उस केवाला में अपना दर्ज होने का कोई नाजायज फायदा लेकर कभी उस भूमि पर अपने हकियत का दावा नहीं किया और न ही कभी उसके कोई पुत्रगण या परिवार के अन्य कोई सदस्यों ने ही कभी दावा किया बल्कि सभी लोग सदा इसे लेख्यकारी के निरपेक्ष हकियत की खास सम्पति माना और स्वीकार किया। यहां तक कि लेख्यकारी के पति की मृत्यु 11 सितम्बर 1968 ई० में ही हो गया तथा सभी एक दुसरे से अलग परिवार के रूप में रहे । इस प्रकार लेख्यकारी और उसके पति का एक अलग परिवार रहा जिससे लेख्यकारी के कोई पुत्र सिर्फ लेख्यकारी को छोड़कर कोई सरोकार नहीं रखा । सबों इस दस्तावेज के उपर खाना न0-5 में वर्णित सम्पति को लेख्यकारी की खास वो नीजी सम्पति माना और तदनुसार उसके निरपेक्ष हकियत कब्जे बसलम दखल वो उपभोग में कभी कोई व्यवधान नही डाला । लेख्यकारी के परिवार में उसके पति वो पुत्रो वगैरह के बीच सारी सम्पति का पुर्ण बटवारा सन् 1957 -58 में हो गया ।

सावित्री देवी
सावित्री देवी

NOTARY
DEOGHAR, JHARKHAND

ATTESTED
15.5.15
REGD NO.-225/0
JHARKHAND

(2) यह कि लेख्यकारी ने अपनी इस नीजी सम्पत्ति को समय समय पर अपने नीजी रूपये से मरम्मत, बनावट आदि कर इसे बरकरार रखा तथा किराया आदि लगाकर कुछ दिनो तक इसके प्रतिफल का उपभोग भी किया ।

(3) यह कि लेख्यकारी को कुल पांच पुत्र एवं तीन पुत्रियां हुईं जो सभी सदा पूर्ण रूप से आर्थिक सम्पन्नता मे रहे । लेख्यधारी कृष्ण चन्द्र प्रसाद सिंह लेख्यकारी का प्रथम पुत्र है जो लेख्यकारी के अन्य पुत्रों और पुरे परिवार के अन्य सदस्यों से अलग और भिन्न स्वभाव रखकर लेख्यकारी और उसके पति को उन्नत किस्म का आदर सतकार देख-रेख वो सेवा सुश्रुषा करता रहा । इस तरह का स्वभाव और विचार लेख्यकारी और उसके पति ने परिवार के दुसरे सदस्यो में कभी नही पाया । लेख्यधारी के इस धार्मिक और साधुपनके स्वभाव ने लेख्यकारी तथा उसके पति को लेख्यधारी के प्रति अन्दरूनी प्रेम वो मोहब्बत उत्पन्न कर दिया था जो उसे अन्य पुत्रों या परिवार के सदस्यों के साथ प्राप्त नहीं हुआ । लेख्यधारी प्रारम्भ से ही उधमी तथा काफी कर्मठशील व्यक्ति रहा । उसके गुण, व्यक्तित्व और कर्मठता से लेख्यकारी और उसके पति ने हमेशा गौरव महसूस किया और यह कार्य भी उसके प्रति उत्तपन्न प्रेम को और भी प्रगाढ़ कर दिया । सावित्री देवी

ATTESTED
NOTARY REGD NO.-2250
GOVT. OF JHARKHAND
DEOGHAR, JHARKHAND

(4) यह कि लेख्यधारी वर्ष 1970 ई० के प्रारम्भ मे ही देवघर सिनेमा हॉल खोलने या अन्य कारोबार करने का विचार किया । लेख्यकारी ने उनके इस विचार को सराहा और इसके लिये उसके जायदाद वसीका हाजा खाना-5 को निरपेक्ष रूप से लेख्यधारी को उसके प्रति चले आ रहे अन्दरूनी प्रेम में उसके द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्यों, व्यवहारों वो सेवा टहल के एवज में पुरूस्कार स्वरूप, निरपेक्ष रूप से दे देने का विचार किया। निबंधित केवाला दिनांक 28-8-1967 मे पति का भी एक नाम अंकित होने के कारण यदि किसी भी कानुनी नजर में इस खरीद की आधी भूमि पर उसका भी हकियत पाया जाता है तो उसमें भी लेख्यकारी अपना हिस्सा तथा अपनी नीजी भूमि में जो आई जायगी उसे लेख्यधारी को पुरूस्कार में दे दिया है। उस समय लेख्यधारी और उसके पति ने अपनी इस सम्पति का जो इस दस्तावेज के उपर खाना न०-5 में वर्णित है उसका कीमत इस पवित्र भाव और निर्णय के अनुसार मात्र टोकन रूप में 51।-' एक्कावन रूपया ) निर्धारित किया और सन् 1970 ई० के सुदी बसंत पंचमी के दिन ही इस पुरी सम्पति जो उपर खाना न०-5 में वर्णित है सब उसे लेख्यधारी को दे दिया और उसे इसका निरपेक्ष मालिक बनाकर स्थायी रूप से कावीज दाखिल कर दिया । अन्त समय में उसके पति भी साथ होकर पुरी भूमि व मकान को लेख्यधारी को दे दिया जिसे लेख्यधारी ने

JAGDISH KUMAR LAL NOTARY DEOGHAR, JHARKHAND

श्री शिव देवी

NOTARY REGD NO.-2250 GOVT. OF JHARKHAND 15.5.15

पुरस्कार को खुशी से स्वीकार कर ग्रहण किया और इस पुश्ती भूमि वो उसपर बने मकान आदि के साथ कब्जो दखल में निरपेक्ष स्वामी के रूप में आ गये ।

(5) यह कि लेख्यधारी ने इस भूमि वो मकानको अपने कब्जे में लेकर अपना नीजी रूपया लगाकर निवास किया तथा कारोवार किया । पुनश्च उस भूमि के मकान मे भारी पुंजी लगाकर उसपर सिनेमा भवन का निर्माण किया और सन् 1983 में सिनेमा का रोजगार प्रारम्भ किया जिसे वह स्वयं किया । उनका वह कारोवार आज भी चल रहा है और जायदाद वसीका हाजा खाना न0-5 के निरपेक्ष स्वामी के रूप में कब्जे दखल में है ।

(6) यह कि लेख्यधारी ने इस भूमि वो मकानपर लेख्यधारी के निरपेक्ष हकियत वो कब्जे को स्वीकार करते हुये नगरपालिका , अंचल तथा सरकार के अन्य कार्यालयों में भी जहां जहां जरूरत हुआ लेख्यकारी ने लिखकर अनापति पत्र दे दिया तथा लेख्यधारी को इसका निरपेक्ष स्वामी के रूप में दर्ज कर देने की भी प्रार्थना की तदनुसार लेख्यकारी की जानकारी में लेख्यधारी का नाम इस सम्पति के लिये निरपेक्ष स्वामी के रूप में सभी सरकारी सिरिस्ता में दर्ज हो गया ।

पुरस्कार को खुशी से स्वीकार कर ग्रहण किया और इस पुरी भूमि वो उसपर बने मकान आदि के साथ कब्जो दखल में निरपेक्ष स्वामी के रूप में आ गये ।

(5) यह कि लेख्यधारी ने इस भूमि वो मकानको अपने कब्जे में लेकर अपना नीजी रूपया लगाकर निवास किया तथा कारोवार किया । पुनः उस भूमि के मकान मे भारी पुंजी लगाकर उसपर सिनेमा भवन का निर्माण किया और सन् 1983 में सिनेमा का रोजगार प्रारम्भ किया जिसे वह स्वयं किया । उनका वह कारोवार आज भी चल रहा है और जायदाद वसीका हाजा खाना न0-5 के निरपेक्ष स्वामी के रूप में कब्जे दखल में है ।

(6) यह कि लेख्यकारी ने इस भूमि वो मकानपर लेख्यधारी के निरपेक्ष हकियत वो कब्जे को स्वीकार करते हुये नगरपालिका , अंचल तथा सरकार के अन्य कार्यालयों में भी जहां जहां जरूरत हुआ लेख्यकारी ने लिखकर अनापत्ति पत्र दे दिया तथा लेख्यधारी को इसका निरपेक्ष स्वामी के रूप में दर्ज कर देने की भी प्रार्थना की तदनुसार लेख्यकारी की जानकारी में लेख्यधारी का नाम इस सम्पति के लिये निरपेक्ष स्वामी के रूप में सभी सरकारी सिरिस्ता में दर्ज हो गया ।

(7) यह कि लेख्यकारी अब उम्र जईफी को पहुंच चुकी है । उसने लेख्यकारी से कहा कि यदि इस सम्पति के बनिस्पत अपने द्वारा प्राप्त निरपेक्ष हकियत का और भी कोई दस्तावेज निबंधित या अनिबंधित बनवाने की आवश्यकता हो तो बनवा लो । लेख्यधारी ने पता लगाकर कहा कि यद्यपि कि इस पर उसको निरपेक्ष हकियत प्राप्त हो गया है फिर भी निबंधित दस्तावेज दाखिल कराने में बहुत भारी खर्च आ रहा है इस लिये सिर्फ यादगारी हेतु एक दस्तावेज बनाकर दे दे ।

अतः लेख्यकारी के अपने नीजी और विश्वासी वकील को बुलाकर उनसे राय परामर्श कर यह वसीयतनामा यह स्वीकारोक्ति पत्र का दस्तावेज लिखकर लेख्यधारी को यादगारी हेतु दे रही है ।

(8) यहकि लेख्यकारी लिख दे रही हैकि इस वसीका के उपर न खानानं०-5 में वर्णित जायदाद पूरी की पुरी या उसमे उसका जो भी हक हिस्सा था या पाया जायगा उसपर भविष्य में यदि लेख्यधारी के हकियत में किसी किस्म का कालीमा पाया जाता है तो लेख्यकारी की मृत्यु के बाद यदि उसपर कोई दुसरा व्यक्ति या लेख्यकारी का कोई दुसरा वारिश दावा पेश करता है और लेख्यधारी को प्राप्त निरपेक्ष हकियत में किसी तकनीकी वजह से कमी पाई जती है तो वैसी सूरत

सावित्री देवी

J. GDISH KUMAR LAL NOTARY DEOGHAR, JHARKHAND

NOTARY REGD NO.-225/0 OF JHARKHAND

में लेख्यधारी अपने द्वारा की गई उपर वर्णित स्वीकारोक्ति कथनो के अलावा यह स्वीकार करती है और एलान करती है कि उसकी मृत्यु के बाद भी यदि इस भूमि पर एक मात्र अधिकार वो हकियत सिर्फ लेख्यधारी कृष्ण चन्द्र प्रसाद सिंह को प्राप्त होगा । इसमें लेख्यकारी को किसी अन्य पुत्र या वारिसानो को कोई हकियत प्राप्त नहीं होगा और वैसी जरूरत पड़ने पर यह दस्तावेज लेख्यकारी द्वारा जायदाद वसीका हाजा खाना न0-5 के बनिस्पत उसके द्वारा लेख्यधारी को किया गया वसीयत माना जायगा जिसमे इस दस्तावेज में की गई स्वीकारोक्ति कथन लेख्यकारी और अन्य दावा करने वाले व्यक्तियो पर निरपेक्ष रूप से बन्धनकारी होगा और उनके सारे दावो को शून्य और निरस्त करार देगा।

अतः अच्छी तरह सोच समझकर बिना किसी भय दबाव या प्रलोभन के यह वसीयतनामा सह स्वीकारोक्ति पत्र का दस्तावेज लिखकर लेख्यधारी को हवाले कर दे रही है और सारे संसार तथा सरकारी या न्यायालीय अधिकारियो को इस दस्तावेज से एलान कर स्वीकार करती है कि जायदाद वसीका हाजा खाना न0-5 पर अपना सारा हक हकूक वह लेख्यधारी को काफी पूर्व सन् 1970 ई0 में ही दे चुकी है और लेख्यधारी उसपर निरपेक्ष हकियत प्राप्त कर चुके है

परन्तु यदि किसी तक्नीकी के कारण से उसपर उसके हकियत में किसी तरह का नुस्स पाया जाता है या उसमें अराजी मे कमी वेशी होती है तो वैसे सूरत मे इस दस्तावेज को लेख्यकारी द्वारा लेख्यधारी के पक्ष में जायदाद वसीका हाज साना न०-5 का या जो भी लेख्यकारी का इसमे हिस्सा पाया जाता है, लेख्यधारी को किया गया वसीयत माना जायगा तथा इसमें की गई सारी स्वीकारोक्ति कथन का इस्तेमाल लेख्यकारी और अन्य सारे व्यक्तियों के विरुद्ध करके इसपर लेख्यधारी अपने हकियत को बचा लेंगे और यदि आवश्यकता हो तो इसे लेख्यकारी का उनके पक्ष में किया गया वसीयत मानकर कानुनी प्रक्रिया में इसे लाते हुवे इस जायदाद पर अपना निरपेक्ष हकियत प्राप्त कर लेगा।

इस वास्ते यह वसीयतनामा सह स्वीकारोक्ति कथन लिखकर पढ़कर वो पढ़वा कर सुन समझ लेने और सही पाने के बाद इसके हरेक पृष्ट पर अपना हस्ताक्षर बनाकर तामिल किया और लेख्यधारी को हवाले कर दिया कि वक्त पर काम आवे इति तारीख-

गवाहान :-

टंकित द्वारा

( कामेश्वर प्रसाद )

देवघर कोर्ट देवघर

The deponent solemnly affirm and declared on oath that the above statement are true to his/her knowledge and he/she is identified by Sri Manoj Kumar Advocate, DEOGHAR COURT

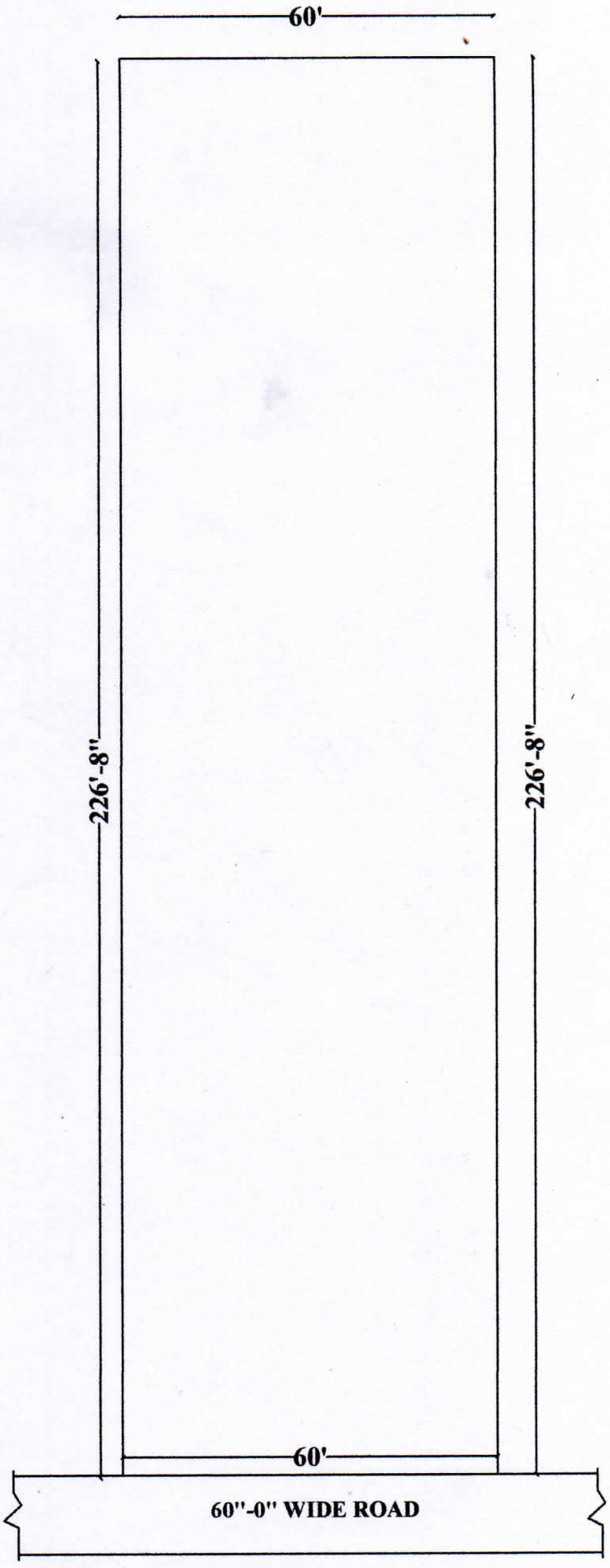

SITE PLAN